13/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 वकील
प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील पेश करने
हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, लेकिन
पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज
दिनांक तक तामील की रपोर्टें पेश नहीं की।
अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत आदेश
9 नियम 2 के तहत खारिज किया जाता है, पत्रावली
बाद तामील शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।